

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
13.08.2014 को लोक सभा में  
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 5072

विद्युत उत्पादन की तुलनात्मक लागत

5072. श्री एम.आई. शनवास:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या अन्य स्रोतों से उत्पादन की जाने वाली विद्युत की प्रति यूनिट लागत की तुलना में परमाणु ऊर्जा से उत्पादन की जाने वाली विद्युत की प्रति यूनिट लागत काफी कम है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परमाणु ऊर्जा सहित सभी स्रोतों से उत्पादित विद्युत की तुलनात्मक प्रति यूनिट लागत का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) राज्यों और अन्य उपभोक्ताओं को प्रत्येक परमाणु संयंत्र से उत्पादित विद्युत का आबंटन करने हेतु क्या नीति/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ) :

- (क) नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर आने वाली लागत, उस इलाके/क्षेत्र में अवस्थित समकालीन परंपरागत बेस लोड विद्युत उत्पादन यूनिटों (जैसेकि कोयला आधारित ताप विद्युत) द्वारा किए जाने वाले विद्युत उत्पादन पर आने वाली लागत के साथ तुलनीय है।
- (ख) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, कोयले की खान के मुहाने के पास, और कोयले की खान के मुहाने से परे स्थित कोयला आधारित केन्द्रों, लिग्नाइट आधारित केन्द्रों, गैस आधारित केन्द्रों, द्रव ईंधन आधारित केन्द्रों, और जल-केन्द्रों, नवीकरणीय स्रोतों, जैसेकि, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तथा नाभिकीय ऊर्जा के लिए नवीनतम उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम शुल्क-दर नीचे सारणी में दी गई है:

क्रम संख्या	उत्पादन केन्द्रों की किस्म	अधिकतम कुल शुल्क-दर (निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार दोनों)	न्यूनतम कुल शुल्क-दर (निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार दोनों)
1.	कोयले की खान के मुहाने के पास स्थित कोयला आधारित केन्द्र	3.19 रुपए प्रति यूनिट	0.87 रुपए प्रति यूनिट
2.	कोयले की खान के मुहाने से परे स्थित कोयला आधारित केन्द्र	5.29 रुपए प्रति यूनिट	3.32 रुपए प्रति यूनिट
3.	लिग्नाइट आधारित केन्द्र	4.01 रुपए प्रति यूनिट	2.79 रुपए प्रति यूनिट

4.	प्राकृतिक गैस आधारित केन्द्र (एपीएम गैस)	3.99 रुपए प्रति यूनिट	2.66 रुपए प्रति यूनिट
5.	प्राकृतिक गैस आधारित केन्द्र (एनएपीएम गैस)	4.52 रुपए प्रति यूनिट	4.23 रुपए प्रति यूनिट
6.	एलएनजी गैस आधारित केन्द्र	10.67 रुपए प्रति यूनिट	8.41 रुपए प्रति यूनिट
7.	द्रव ईंधन आधारित केन्द्र (नेफ्था/एचएसडी)	13.01 रुपए प्रति यूनिट	7.67 रुपए प्रति यूनिट
8.	जल आधारित केन्द्र	5.77 रुपए प्रति यूनिट	0.86 रुपए प्रति यूनिट
9.	वायु ऊर्जा	6.00 रुपए प्रति यूनिट	3.74 रुपए प्रति यूनिट
10.	सौर पीवी (प्रकाश वोल्टीय)	7.72 रुपए प्रति यूनिट	--
11.	सौर सीएसपी (सांद्रित सौर विद्युत)	11.88 रुपए प्रति यूनिट	--
12.	नाभिकीय ऊर्जा	3.41 रुपए प्रति यूनिट	0.95 रुपए प्रति यूनिट

- (ग) भारत सरकार ने, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की सभी नई नाभिकीय परियोजनाओं से गृह राज्यों को 50% विद्युत आबंटित करने संबंधी एक नीति को अनुमोदित किया है जो जनवरी, 2011 से प्रभावी होगी। 15 प्रतिशत विद्युत, भारत सरकार के अधिकार में अनाबंटित रखी रहेगी, और शेष 35 प्रतिशत को केन्द्रीय फार्मूला के अनुसार, अन्य संघटकों (गृह राज्य को छोड़कर) को आबंटित किया जाना है।

\*\*\*\*\*